छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

// आदेश //

क्रमांक – 09

दिनांक 08/04/2022

विषयः–दीर्घ समय से रिक्त चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को विकय योजना के तहत बेस रेट पर विकय करने एवं विशेष भाड़ाकय योजना तथा One time settelment (एकमुश्त आधार) योजना अंतर्गत संपत्ति विकय करने आगामी 70वें मण्डल सम्मिलन तक समयावधि में वृद्धि बाबत्।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 68वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 02.07.2021 के पद संख्या कमांक 07 पर पारित संकल्प कमांक 1910/07/68/07/2021 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, मण्डल की निधि तरलता सुदृढ़ करने हेतु दीर्घ समय से **रिक्त चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को Onetime Settelment (एकमुश्त आधार) योजना** के तहत् बेस रेट (समस्त प्रभार सहित) पर विकय एवं विशेष भाड़ाकय योजना लागू करने प्रकरण शासन को प्रेषित कर मंत्री–मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने निर्देशित किया गया है। तदानुसार प्रस्ताव छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को मण्डल द्वारा प्रेषित किया गया।

उप सचिव, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन कमांक एफ 3–07/2019/32 दिनांक 05.08.2021 द्वारा प्राप्त अनुमोदन अनुसार एवं मण्डल के आदेश कमांक 17, दिनांक 11.08.2021 द्वारा मण्डल की निधि तरलता सुदृढ़ करने हेतु दीर्घ समय से **रिक्त चिन्हांकितं आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को Onetime Settelment (एकमुश्त आधार) योजना** के तहत् बेस रेट (समस्त प्रभार सहित) पर विकय एवं विशेष भाड़ाकय योजना लागू करने अनुमति प्रदान की गई है। योजना दिनांक 31 मार्च 2022 को तक के आबंटनों पर लागू थी।

संपत्तियों के विकय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हांकित परियोजनाओं में संपत्तियों का मूल्य बेस रेट पर निर्धारित करते हुए (समस्त प्रभार सहित) One time settelment (एकमुश्त) आधार एवं विशेष भाड़ाकय योजना में विकय हेतु छूट की समयावधि मण्डल से अनुमोदन की प्रत्याशा में आगामी 70वें मण्डल सम्मिलन तक वृद्धि की जाती है एवं पूर्व में जारी नियम/शर्ते यथावत् रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित)

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः–02

पृ.क्र. 722 / आ.आ. / सं.प्र.शा. / मुख्या / एफ—87 / 22 नवा रायपुर, दिनॉक 08/04/2022

प्रतिलिपिः—

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, दुर्ग / रायपुर / नवा रायपुर / बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय / वृत्त—रायपुर / वृत्त—नवा रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,04, रायपुर / राजधानी परियोजना संभाग—01, नवा रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा / बिलासपुर / रायगढ़ / कोरबा / अंबिकापुर / कोण्डागांव / जगदलपुर / धमतरी / महासमुन्द / कोरिया की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. वास्तुविद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
12. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,04 रायपुर / प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना—रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा / बिलासपुर / रायगढ़ / कोरबा / अंबिकापुर / कोण्डागांव / जगदलपुर / धमतरी / महासमुन्द / कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संपदा अधिकारी (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
14. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
15. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)